



झारखण्ड सरकार

झारखण्ड सरकार

राज्य खाद्य नियंत्रण निदेशालय

स्वास्थ्य, चिकित्सा-शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

(राज्य खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला परिसर)

नामकुम, राँची - 834010

सूचना

राज्य खाद्य नियंत्रण निदेशालय एवं प्रयोगशाला, नामकुम राँची झारखण्ड के अन्तर्गत अनुबंध के आधार पर निम्नांकित पदों के लिए विहित प्रपत्र में पूर्व में निर्गत विज्ञापनों को संशोधित करते हुए आवेदन आमंत्रित किया जाता है।

क्रम सं०	पद का नाम	रिक्ति	मासिक मानदेय	योग्यता एवं अहर्ता
01	खाद्य विश्लेषक	01	30000	<p>A person shall not be qualified for appointment as Food Analyst under the Act unless she/he ;-</p> <p>i. Holds a Master's degree in Chemistry or Biochemistry or microbiology or Dairy Chemistry or Food Technology, Food and Nutrition or holds Bachelor of Technology in Dairy/Oil or holds degree in Veterinary Sciences from a university established in India by law or is an associate of the Institution of Chemists (India) by examination in the section of Food Analysts conducted by the Institution of Chemists (India) or any other equivalent qualification recognized and notified by the Central government for such purposes and has not less than three years experience in the analysis of food; and</p> <p>ii. Has been declared qualified for appointment as a Food Analyst by a board appointed and notified by the Authority Not with standing anything contained above,</p> <p>(a) any person who has been declared qualified for appointment as Public Analyst by the board constituted under Prevention of Food Adulteration Act, 1954 shall also be eligible for holding the post of Food Analyst.</p> <p>(b) any person who is a Public Analyst under the provisions of Prevention of Food Adulteration Act, 1954 on the date of commencement of these Rules, may hold office of the Food Analyst subject to the terms and conditions of service applicable to such person .</p>

2. उम्र सीमा : 28.05.2012 को न्यूनतम 25 वर्ष एवं अधिकतम 64 वर्ष आयु हो।

3. शर्तें :
- (i) मानदेय के अलावे अन्य कोई राशि भुगतेय नही होगी।
 - (ii) अनुबंध अधिकतम एक वर्ष के लिए होगा। आवश्यकतानुसार इसे एक-एक वर्ष में कर्मियों की कार्य दक्षता एवं Appraisal के आधार पर बढ़ाया जा सकेगा।
 - (iii) अनुबंध कर्मियों का अनुबंध एक माह की पूर्व नोटिस पर समाप्त किया जा सकेगा।
 - (iv) अनुबंध के आधार पर कोई नियोजन नही होगा, बल्कि स्वीकृत मानदेय के विरुद्ध उन्हे अनुबंधित किया जायेगा।
 - (v) अनुबंध के आधार पर अनुबंधित कर्मियों को अभ्यावेदन के साथ इस आशय का Indemnity Bond संलग्न करना अनिवार्य होगा कि वे भविष्य में नियमित नियुक्ति का दावा नही करेंगे। इस प्रकार का कोई दावा मान्य नही होगा।
 - (VI) सेवा निवृत्त कर्मचारियों के चुनाव एवं मानदेय भुगतान की स्थिति में पेंशन नियमावली लागु रहेगा।

4. चयन प्रक्रिया :
- (i) उपरोक्त अहर्ता वाले उम्मीदवार निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा निदेशक प्रमुख (खाद्य), राज्य खाद्य नियंत्रण निदेशालय, राज्य खाद्य एवं औषधि जाँच प्रयोगशाला परिसर, नामकुम, रॉची 834010 को आवेदन भेजेंगे।
 - (ii) अन्तिम रूप से तैयार की गई मेधा सूची निदेशक प्रमुख (खाद्य), राज्य खाद्य नियंत्रण निदेशालय, के सूचना पट्ट पर प्रकाशित की जायेगी।
 - (iii) चयनित उम्मीदवारों के लिए यह आवश्यक है कि वे किसी फौजदारी मुकदमें में दण्डित नही होने का शपथ पत्र अनिवार्य रूप से नोटरी पब्लिक द्वारा देगे।
 - (iv) कार्यरत उम्मीदवार अपने संस्थान के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न करेंगे जिसमें यह उल्लेख रहेगा कि नियुक्ति पत्र की निर्गत तिथि के एक सप्ताह के अंदर योगदान कर सकेंगे।
 - (v) आवेदन के साथ खाद्य विश्लेषक 500 रुपये का राष्ट्रीय कृत बैंक के द्वारा निर्गत ड्राफ्ट लगाना अनिवार्य होगा जो "निदेशक प्रमुख खाद्य" के नाम से देय होगा एवं रॉची में भुगतेय होगा परन्तु पूर्व के विज्ञापन सं० PR- 49744 (Health) 11-12 में आवेदित अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का भुगतान करने की आवश्यकता नही होगी।
 - (vi) खाद्य विश्लेषक का walk in interview के द्वारा दिनांक 30.05.2012 को चयन किया जायेगा।

उपरोक्त योग्यता एवं अहर्ता रखने वाले उम्मीदवार निम्नांकित विहित प्रपत्र में जन्म तिथि प्रमाण पत्र सहित आवश्यक प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित छाया प्रति एवं दो रंगीन फोटोग्राफ समर्पित करेंगे जिसमें एक फोटोग्राफ आवेदन पत्र के साथ संलग्न रहेगा। लिफाफे के उपर आवेदित पद का नाम अवश्य अंकित किया जाय।

आवेदन पत्र पहुँचने की अंतिम तिथि : 28.05.2012

Walk in interview की तिथि : 30.05.2012

(डा० टी०पी० वर्णवाल)
(निदेशक प्रमुख (खाद्य))

